



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-295/2022

दिनांक- 07-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- तरवां

किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – थाना तरवां क्षेत्र के एक महिला द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादीनी की नाबालिक लड़की उम्र 15 वर्ष को दासू राजभर पुत्र समारु राजभर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने सरपत की झाड़ी में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 251/22 धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
2. गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक- 07.09.2022 को थानाध्यक्ष तरवां अनिल सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त दासू पुत्र समारु राजभर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ आजमगढ़ को समय करीब 09.15 बजे नौरसिया मोड़ से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
4. पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 251/22 धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ़
5. अपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त
6. गिरफ्तार अभियुक्त –1. दासू राजभर पुत्र समारु राजभर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष
7. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SO श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 आयुष कुमार मौर्या व हे0का0 कृष्णानन्द यादव थाना तरवा जनपद आजमगढ़

थाना- मेहनाजपुर

दो तमंचा व दो कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.09.2022 को SSI मोती लाल पटेल मय हमराह SI प्रेमचन्द दूबे हमराह द्वारा जियापुर पुलिसिया पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो की चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान गाजीपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से आती दिखाई दी पुलिस वालो को देखकर मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल मोड़कर पीछे की तरफ भागना चाहे तथा हड़बड़ी में गिर गये हमराही कर्मचारियों की मदद से घेरकर पकड़ा गया नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गगन यादव S/O मनोज यादव निवासी कलवारी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ व दूसरे ने अपना नाम सोनू यादव S/O मुन्ना यादव R/O मौधा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर बताया उसके कब्जे से 02 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय 18.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 112/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
1. मु113 -0सं0अ0/3 धारा 22/आर्म्स एक्ट 25 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. गगन यादव S/O मनोज यादव निवासी कलवारी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़
2. सोनू यादव S/O मुन्ना यादव R/O मौधा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी : 02 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- 1- व0उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 2- उ0नि0 प्रेमचन्द दूबे मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

शातिर गौ तस्कर अवैध असलहे व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 07.09.2022 को उ0नि0 ओम प्रकाश नारायण सिंह मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग में अछैवर नगर पुलिसिया पर मामूर थे कि सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति असलहे के साथ जाफरपुर पेट्रोल पम्प के पहले विरभानपुर मोड पर खडा है। मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को पकड़ लिया गया नाम पता पूछने पर अपना नाम फैसल पुत्र जुम्मन नट निवासी गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताया उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कृत्य 3/25 शस्त्र अधिनियम के अपराध का बोध कराकर समय 9.25 AM पर गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 280/22 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 280/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मेंहनगर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 94/19 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गम्भीरपुर,
2. मु.अ.सं. 43/2020 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
3. मु.अ.सं. 34/2021 धारा 3/5/8 गोबध नि0अधि0 व 307/34 भादवि थाना गम्भीरपुर,
4. मु.अ.सं. 164/2021 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त – फैसल पुत्र जुम्मन नट निवासी गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी – एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 ओम प्रकाश नारायण सिंह मय हमराह HC राम अवध यादव व का0 जितेन्द्र सिंह थाना मेंहनगर आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना- दिनांक 19.0.2022 को वादिनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि वादिनी की नाबालिक पुत्री को समय लगभग रात्रि 02.00 बजे बाहर गई लौटकर नहीं आयी वादिनी को बाद में पता चला कि छोटू निषाद पुत्र केशव निषाद निवासी ग्राम ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा भगा ले जाना एवं उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, के सम्बन्ध में सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 241/2022 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाकसे एक्ट व 3(2)5 SC/ST Act का अभियोग बनाम छोटू निषाद पुत्र केशव निषाद ग्राम ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी दिनांक 29.08.2022 को की गयी है। अग्रेतर विवेचना प्रचलित है।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 07.09.2022 को क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में व0उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सर्वेश साहनी उर्फ छोटू निषाद पुत्र स्व0 केशव प्रसाद शाहनी निवासी ग्राम ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ गोछा पुलिस से समय 10.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 241/2022 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाकसे एक्ट व 3(2)5 SC/ST Act

गिरफ्तार अभियुक्त

सर्वेश साहनी उर्फ छोटू निषाद पुत्र स्व0 केशव प्रसाद शाहनी निवासी ग्राम ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व0उ0नि0 श्री अजीत कुमार चौधरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 संजय कुमार शाह, का0 अजय कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

अपहरण के प्रयास में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 06.09.2022 को वादी छन्नुलाल यादव पुत्र स्व0 रामजीत यादव निवासी देवारा कदीमा (करीया का पूरा) थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी के नाबालिक बेटे को 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण का प्रयास किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 342/2022 धारा 363/511IPC पंजीकृत करते हुए उ0नि0 सुभाषचन्द्र दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित अभियुक्त 1. चन्द्रमोहन राव पुत्र मुस्लिम ग्राम हासिमबोर्ड थाना जामुन जनपद दुर्ग राज्य छत्तीसगढ़ 2. जयप्रकाश यादव पुत्र लेखमन यादव ग्राम साउंगखोर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर 3. महेन्द्र यादव पुत्र श्यामदेव यादव ग्राम साउंगखोर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर 4. जितेन्द्र यादव पुत्र रमानन्द यादव ग्राम साउंगखोर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर 5. मुचकुन्द शुक्ला पुत्र शैलेश शुक्ला

ग्रा भरतपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर को जनता के व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया है जिसे मौके पर पहुचकर हिरासत पुलिस लिया गया व अपहृत को भी मौके से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 342/2022 धारा 363/511IPCथाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. चन्द्रमोहन राव पुत्र मुस्लिम ग्राम हासिमबोर्ड थाना जामुन जनपद दुर्ग राज्य छत्तीसगढ़
2. जयप्रकाश यादव पुत्र लेखमन यादव ग्राम साउंगखोर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
3. महेन्द्र यादव पुत्र श्यामदेव यादव ग्राम साउंगखोर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
4. जितेन्द्र यादव पुत्र रमानन्द यादव ग्राम साउंगखोर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
5. मुचकुन्द शुक्ला पुत्र शैलेश शुक्ला ग्रा भरतपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम- जनता द्वारा पकड़ा गया जिसे थाना स्थानीय से उ0नि0 सुभाषचन्द्र दुबे व हे0मु0 अजय कुमार सिंह का0मु0 विनोद कुमार यादव द्वारा हिरासत पुलिस लिया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक- 07.09.2022 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 296 सन् 2003 अंतर्गत धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. दीन दयाल उर्फ राम दयाल पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी मुसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़, 2. श्रीमती सुभावती पत्नी दीन दयाल उर्फ राम दयाल निवासी मुसेपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

40वीं अन्तर्जनपदीय बैडमिन्टन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2022 का समापन; फाइनल विजेता बैडमिन्टन व टेबल टेनिस दोनो (पुरुष) में जनपद आजमगढ़ तथा बैडमिन्टन (महिला) में जनपद गाजीपुर व टेबल टेनिस (महिला) में मिर्जापुर बना

आज दिनांक- 07.09.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में 40वीं अन्तर्जनपदीय बैडमिन्टन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2022 का समापन किया गया। यह प्रतियोगिता दिनांक- 05.09.2022 से 07.09.2022 तक चली, जिसमें कुल 10 जनपदों के कुल 110 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया गया था। इस प्रतियोगिता में फाइनल विजेता बैडमिन्टन (पुरुष) में जनपद आजमगढ़, बैडमिन्टन (महिला) में जनपद गाजीपुर, टेबल टेनिस (पुरुष) में- जनपद आजमगढ़ तथा टेबल टेनिस (महिला) में जनपद मिर्जापुर के खिलाड़ी रहें। पुलिस अधीक्षक ने विजेता टीम के कुल 16 खिलाड़ियों को चल वैजयंती शील्ड, प्रशस्ति पत्र व स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया तथा उप-विजेता टीम के 16 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व रजत पदक से सम्मानित किया।

फाइनल विजेता टीम के खिलाड़ियों का विवरण-

बैडमिन्टन पुरुष में- शशिशेखर सिंह, वीनेश सिंह, रजनीश सिंह व रवि कुमार गुप्ता (जनपद आजमगढ़)

बैडमिन्टन महिला में- आकांशा पाठक, आकांक्षा बौद्ध, राधा यादव व सुधा कुमारी (जनपद गाजीपुर)

टेबल टेनिस पुरुष में- श्री शैलेन्द्र लाल (SP City आजमगढ़), जीत पाल, सलमान खान व अनिकेत शुक्ला (जनपद आजमगढ़)

टेबल टेनिस महिला में- शानू शुक्ला, प्रियंका कुशवाहा, शैलो यादव व दिव्या सिंह (जनपद मिर्जापुर)

उक्त प्रोग्राम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहें।